

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015-16 (1ली अप्रिल 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोवस्ती दिनांक 14.03.2016 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) अ.प.दे.क. न.न. में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्ती की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बंदोवस्ती निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्तों से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोवस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानवार बंदोवस्ती किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्ती नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञापित विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने से निरहित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्ती होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोवस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्ता के कार्यालय/विभाग के वेबसाइट www.excise-bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

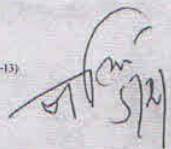
6.(क) लौटरी द्वारा बंदोवस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बंदोवस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बंदोवस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्तों पर की जा सकती है, परंतु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7. (क) लौटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान-प्रमाण (आइडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या, एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लौटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कंपोजिट शराब की दुकानों की बंदोवस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, वशर्त सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उसपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख). लौटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जानेवाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर "हाई पोटेंसियल जोन" के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।



क्षेत्र का नाम	हाई पोर्टेंशियल तथा लो पोर्टेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रु0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रु0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद् के लिए	रु0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रु0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रु0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रु0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती लेनेवाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतये होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बंदोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरुद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा –

- अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो,
- वह सरकारी बकायेदार हो।
- आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।
- अगर वह दिवालिया (इनसोल्वेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- उसपर कोई सरकारी देयता अथवा बकाया नहीं है ;
- उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,
- उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है ;

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक की कारावास-अवधि का सजायपता नहीं है ; और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन-जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण-पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर यदि उसके द्वारा लाइसेंसिंग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिंग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञाप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बंदोबस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बंदोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते हैं, उसके लिए अलग-अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा;

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार);

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बंदोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ-पत्र के संबंध में अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बंदोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परंतु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बंदोबस्ती सर्वप्रथम 'बैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बंदोवस्ती के तुरंत बाद बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करना होगा।

बंदोवस्तदार को वार्षिक अनुज्ञाप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में बंदोवस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बंदोवस्तदार/अनुज्ञाप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञाप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परंतु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञाप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञाप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के कम संख्या दो के अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या-2 को दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बंदोवस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बंदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञाप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञाप्ति के साथ-साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञापतियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जब्त कर ली जा सकेगी।

15. (क) जहां बंदोवस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहां अनुज्ञाप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस का बारहवां भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहां बंदोवस्ती साल के बीच में होगी वहां समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बंदोवस्त की जायेगी। अगर बंदोवस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञाप्ति फीस के साथ-साथ जिस माह से अनुज्ञाप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञाप्ति फीस भी जमा करने के बाद बंदोवस्तदार के पक्ष में अनुज्ञाप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क, वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञाप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ.) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञाप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16 (क). कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जबाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती के बाद दस दिनों के अंदर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्ता को आवेदन देगा। समाहर्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश-द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौड़ी में स्थित भूमि-भवन/खाली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख). बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग). ग्रामीण क्षेत्र के कंपोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परन्तु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रैल में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बंदोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को "ऑन" बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का दस प्रतिशत अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में "ऑन" बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद नियम 47 के अंतर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) "ऑन" बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो "ऑफ" काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैसे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और नहीं अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्ति परिसर के बाहर मुख्य दरवाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा -

- (i). दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
- (ii). अनुज्ञाधारी का नाम
- (iii). दुकान के अधिकृत बिक्रेता का नाम
- (iv). सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य

(ख). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानक के अनुसार 3'x2.5' साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग). बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस-पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ). बंदोबस्तधारी, निगम के डीपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्वद द्वारा बनाये गये हैं, या समय-समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी सक्षम पदाधिकारी से समय-समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

जायेगी।

समाहर्ता

समाहरणालय का नाम:- गोपालगंज

दिनांक:- 27.02.2015

5/2/15

ज्ञापांक 237 / उत्पाद, गोपालगंज दिनांक 27.02.2015

प्रतिलिपि:-आयुक्त उत्पाद बिहार,पटना/उपायुक्त उत्पाद तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल मुजफ्फरपुर/आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज/ सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद/उप विकास आयुक्त/जिला विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी,गोपालगंज/हथुआ/जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मीरगंज/कटेया एवं बरौली/अध्यक्ष जिला परिषद, गोपालगंज/जिला सूचना पदाधिकारी, गोपालगंज/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज/निरीक्षक उत्पाद/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं व्यापक प्राचारार्थ एवं प्रसारार्थ प्रेषित। एक प्रति समाहर्ता कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, उत्पाद कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, मध्यमंडागार के नोटिस बोर्ड पर तथा एक प्रति बिहार स्टेट विवरेज कारपोरेशन, गोपालगंज के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है।

ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र-127) वर्ष 2015-16 की शर्तों एवं बंधेजों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों का पालन करने को तैयार होंगे, लॉटरी नियमावली 2015 में भाग लेने हेतु दिनांक 08.03.2015 को 05.00 बजे शाम तक निश्चित रूप से आवेदन वांछित कागजात के साथ गोपालगंज समाहरणालय अवस्थित सूचना भवन में उत्पाद डेस्क पर आवेदन शुल्क नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से जो अधीक्षक उत्पाद गोपालगंज के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, गोपालगंज में भुगतये होगा। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र वैयक्तिक पहचान-पत्र संबंधित कागजात के साथ आवेदन समर्पित करेंगे।

समाहरणालय, गोपालगंज।

दिनांक 27.02.2015

अधीक्षक उत्पाद,
गोपालगंज।

समाहर्ता,
गोपालगंज।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बन्दोबस्ती होने वाली दुकानों की समूहवार सूची, मासिक अनुज्ञाशुल्क एवं उनके मासिक/वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

जिला- गोपालगंज।

दुकानों की समूह सं०	समूह में सम्मिलित दुकान का नाम	जमानत राशि / मासिक अनुज्ञाशुल्क	मासिक / वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			आवेदन शुल्क (समूहवार) रु० में
			देशी शराब / मसालेदार शराब एल०पी०एल०	विदेशी शराब एल०पी०ली०	बीयर बल्क ली०	
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-1,	691173.00	7679.7 / 92156.4			
	प्रखण्ड स्तर देशी शराब बैकुण्ठपुर	350658.00	3896.2 / 46754.4			
	योग	1041831.00				
2	नगर परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-2,	691173.00	7679.7 / 92156.4			
	मिश्रित जलालपुर,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.08	526.84 / 6322.08	8000.00
	मिश्रित बथनाकुटी / बलथरी	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.08	526.84 / 6322.08	
3	योग	1299483.00				
	नगर परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-3,	691173.00	7679.7 / 92156.4			
	प्रखण्ड स्तर देशी शराब सासामुसा,	351125.00	3901.38 / 46816.56			
4	प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब सासामुसा	223352.00		1385.01 / 16070.12	1560 / 18720	10000.00
	योग	1265650.00				
	नगर परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-4,	691173.00	7679.7 / 92156.4			
5	मिश्रित डुमरिया,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.08	526.84 / 6322.08	8000.00
	मिश्रित धरमपरसा	311116.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5900.76	526.84 / 6322.08	
	योग	1306444.00				
5	नगर परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-5,	691173.00	7679.7 / 92156.4			
	प्रखण्ड स्तर देशी शराब कुचायकोट,	350658.00	3896.2 / 46754.4			
	प्रखण्ड स्तर विदेशी शराब कुचायकोट	223352.00		1385.01 / 16070.12	1560.0 / 18720.0	10000.00
	योग	1265183.00				

परिषद् देशी शराब गोपालगंज सं०-६,

	परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-६, प्रखंड स्तर देशी शराब सिधवलिया	योग	691173.00 350658.00 1041831.00	7679.7 / 92156.4 3896.2 / 46754.4			7000.00
7	नगर परिषद देशी शराब गोपालगंज सं०-७, मिश्रित यादोपुर सं०-१, मिश्रित यादोपुर सं०-२	योग	691173.00 304155.00 304155.00 1299483.00	7679.7 / 92156.4 2577.5 / 30930 2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88 446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08 526.84 / 6322.08	8000.00
8	नगर पंचायत देशी शराब मीरगंज सं०-१, नगर पंचायत विदेशी शराब मीरगंज सं०-१	योग	567594.00 306608.00 874202.00	6306.6 / 75679.2	1779.05 / 21348.6	3975 / 47700	6000.00
9	नगर पंचायत देशी शराब मीरगंज सं०-२, नगर पंचायत विदेशी शराब मीरगंज सं०-२	योग	567594.00 306608.00 874202.00	6306.6 / 75679.2	1779.05 / 21348.6	3975 / 47700	6000.00
10	नगर पंचायत देशी शराब मीरगंज सं०-३, नगर पंचायत विदेशी शराब मीरगंज सं०-३	योग	567594.00 306608.00 874202.00	6306.6 / 75679.2	1779.05 / 21348.6	3975 / 47700	6000.00
11	नगर पंचायत देशी शराब मीरगंज सं०-४, नगर पंचायत विदेशी शराब मीरगंज सं०-४	योग	567594.00 306608.00 874202.00	6306.6 / 75679.2	1779.05 / 21348.6	3975 / 47700	6000.00
12	नगर पंचायत देशी शराब कटेया सं०-१, नगर पंचायत विदेशी शराब कटेया सं०-१	योग	567594.00 306608.00 874202.00	6306.6 / 75679.2	1779.05 / 21348.6	3975 / 47700	6000.00
13	नगर पंचायत देशी शराब कटेया सं०-२, नगर पंचायत विदेशी शराब कटेया सं०-२	योग	567594.00 306608.00 874202.00	6306.6 / 75679.2	1779.05 / 21348.6	3975 / 47700	6000.00
14	प्रखंड स्तर देशी शराब भोरे नं०-१, प्रखंड स्तर विदेशी शराब भोरे नं०-१, मिश्रित हुस्सेपुर नं०-१	योग	350658.00 216390.00 304155.00 871203.00	3896.2 / 46754.4 2577.5 / 30930	1338.6 / 16003.2 446.073 / 5352.88	1560 / 18720 526.84 / 6322.08	8000.00

15	प्रखंड स्तर देशी शराब भोरे नं0-2 , प्रखंड स्तर विदेशी शराब भोरे नं0-2, मिश्रित हुस्सेपुर नं0-2	योग	350658.00 216390.00 304155.00 871203.00	3896.2 / 46754.4 2577.5 / 30930	1338.6 / 16063.2 446.073 / 5352.88	1560 / 18720 526.84 / 6322.08	8000.00
16	प्रखंड स्तर देशी शराब लाइन बाजार, प्रखंड स्तर विदेशी शराब लाइन बाजार, मिश्रित माड़ीपुर(बथुआ)	योग	350658.00 216390.00 304155.00 871203.00	3896.2 / 46754.4 2577.5 / 30930	1338.6 / 16063.2 446.073 / 5352.88	1560 / 18720 526.84 / 6322.08	8000.00
17	प्रखंड स्तर देशी शराब हथुआ, प्रखंड स्तर विदेशी शराब हथुआ, मिश्रित मणीछापर	योग	350658.00 224852.00 304155.00 879665.00	3896.2 / 46754.4 2577.5 / 30930	1385.01 / 16620.12 446.073 / 5352.88	1710 / 20520 526.84 / 6322.08	8000.00
18	प्रखंड स्तर देशी शराब पंचदेवरी, प्रखंड स्तर विदेशी शराब पंचदेवरी	योग	350658.00 216390.00 567048.00	3896.2 / 46754.4	1338.6 / 16063.2	1560 / 18720	6000.00
19	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं0-1, प्रखण्ड स्तरीय देशी शराब थावे नं0-1, प्रखण्ड स्तरीय विदेशी शराब थावे नं0-1	योग	388242.00 350658.00 216390.00 955290.00	3896.2 / 46754.4	2114.275 / 25371.3 1338.6 / 16063.2	7110 / 85320 1560 / 18720	10000.0
20	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं0-2, प्रखण्ड स्तरीय देशी शराब थावे नं0-2, प्रखण्ड स्तरीय विदेशी शराब थावे नं0-2	योग	388242.00 350658.00 216390.00 955290.00	3896.2 / 46754.4	2114.275 / 25371.3 1338.6 / 16063.2	7110 / 85320 1560 / 18720	10000.0
21	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं0-3, प्रखण्ड स्तरीय देशी शराब मौझा नं0-1 प्रखण्ड स्तरीय देशी शराब मौझा नं0-2	योग	388242.00 350658.00 350658.00 1089558.00	3896.2 / 46754.4 3896.2 / 46754.4	2114.275 / 25371.3	7110 / 85320	10000.0
22	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं0-4, प्रखण्ड स्तरीय देशी शराब विशुनपुरा , मिश्रित शेर बाजार	योग	388242.00 350658.00 304155.00 1043055.00	3896.2 / 46754.4 2577.5 / 30930	2114.275 / 25371.3 446.073 / 5352.88	7110 / 85320 526.84 / 6322.08	9000.00

23	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं०-5, नगर पंचायत देशी शराब बरौली नं०-1 मिश्रित मिर्जापुर	388242.00		2114.275 / 25371.3	7110 / 85320	9000.00
		567594.00	6306.6 / 75679.2			
		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
24	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं०-6, नगर पंचायत देशी शराब बरौली नं०-2, मिश्रित बरहिमा मोड़	1259991.00				9000.00
		388242.00	6306.6 / 75679.2	2114.275 / 25371.3	7110 / 85320	
		567594.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5909.76	526.84 / 6322.08	
25	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं०-7, मिश्रित साखें, मिश्रित श्यामपुर	1266952.00				8000.00
		388242.00		2114.275 / 25371.3	7110 / 85320	
		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
26	नगर परिषद विदेशी शराब गोपालगंज नं०-8, मिश्रित माधोपुर, मिश्रित लालामोहम्मदपुर/नौतन बाजार	996552.00				8000.00
		388242.00		2114.275 / 25371.3	7110 / 85320	
		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
27	नगर पंचायत विदेशी शराब बरौली नं०-1, नगर पंचायत विदेशी शराब बरौली नं०-2	996552.00				6000.00
		258550.00		1547.0 / 18564.0	2650.0 / 31800.0	
		258550.00		1547.0 / 18564.0	2650.0 / 31800.0	
28	प्रखंड स्तर विदेशी शराब मौझा , मिश्रित भड़कुईया	517100.00				5000.00
		216390.00		1338.6 / 16063.2	1560 / 18720	
		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
29	प्रखंड स्तर विदेशी शराब विशुनपुरा, मिश्रित महम्मदपुर, मिश्रित झंझवौ	520545.00				7000.00
		216390.00		1338.6 / 16063.2	1560 / 18720	
		314116.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5909.76	826.84 / 9922.08	
30	प्रखंड स्तर विदेशी शराब सिधवलिया, मिश्रित हरदिया, मिश्रित रेवतीथ	834661.00				7000.00
		216390.00		1338.6 / 16063.2	1560 / 18720	
		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	824700.00				

31	खंड स्तर विदेशी शराब बैकुण्ठपुर, मिश्रित बढ़ैया, मिश्रित सरफरा	योग	216390.00		1338.6 / 16063.2	1560 / 18720	7000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			824700.00				
32	मिश्रित बसाहाराजापट्टी, मिश्रित मीराटोला, मिश्रित पीपरा भगवानपुर	योग	312616.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5909.76	676.84 / 8122.08	6000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			920926.00				
33	मिश्रित दहीभत्ता / संतमोड़, मिश्रित बसडीला	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			608310.00				
34	मिश्रित जमुनाहॉ नं0-1, मिश्रित जमुनाहॉ नं0-2, मिश्रित डेरवा साहेबगंज	योग	304905.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	601.84 / 7222.08	6000.00
			304905.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	601.84 / 7222.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			913965.00				
35	मिश्रित सेमरां, मिश्रित राजापुर, मिश्रित रतनपुरा	योग	308155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	926.84 / 11122.08	6000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			916465.00				
36	मिश्रित बड़का गॉव, मिश्रित बगही, मिश्रित सिधवनिया	योग	311116.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5909.76	526.84 / 6322.08	6000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			919426.00				
37	मिश्रित मिश्रबतराहॉ, मिश्रित श्रीपुर कोठी, मिश्रित विजयीपुर	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	6000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			912465.00				
38	मिश्रित भागीपट्टी, मिश्रित बहेरवाँ, मिश्रित गौराबाजार	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	6000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			912456.00				

39	नत बथुआ बाजार नं0-1,	304905.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	601.84 / 7222.08	6000.00
	मिश्रित बथुआ बाजार नं0-2,	304905.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	601.84 / 7222.08	
	मिश्रित पेउली	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	913965.00				
40	मिश्रित जीन बाजार (हथुआ),	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
	मिश्रित तितलिया मोड़ मिर्जापुर/त्रिवेणी मोड़	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	608310.00				
	मिश्रित जमसड़,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
41	मिश्रित पाखोपाली,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	6000.00
	मिश्रित अरना	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	912465.00				
	मिश्रित बलिवन सागर,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
42	मिश्रित सिपाया,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	6000.00
	मिश्रित दुबेखरेयों	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	912465.00				
	मिश्रित हरपुर/नावादा,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
43	मिश्रित जीनबाबा (गोपालगंज)	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
	योग	608310.00				
	मिश्रित सिसई,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	मिश्रित कावे/जगतौली	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
44	योग	608310.00				4000.00
	मिश्रित खोरही,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	मिश्रित लामौचौर	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	608310.00				
45	मिश्रित कोयलादेवा,	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
	मिश्रित बंशीबतराहों	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	योग	608310.00				
	योग	608310.00				
46	मिश्रित बंशीबतराहों	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
	योग	608310.00				
	योग	608310.00				
	योग	608310.00				

	मिश्रित मुसहरी,		315116.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5909.76	926.84 / 11122.08	4000.00
	मिश्रित पगरा बाजार	योग	305655.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	676.84 / 8122.08	
48	मिश्रित कोइनी,		620771.00				
	मिश्रित बलुही बाजार	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
			304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
49	मिश्रित बंगरा,	योग	608310.00				
	मिश्रित धोबलिया,		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	6000.00
	मिश्रित कविलासवा/पैठानपट्टी	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
			912465.00				
50	मिश्रित जगरनाथा/उचकागौव,	योग	304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
	मिश्रित अबिकापुर		308155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	926.84 / 11122.08	
		योग	612310.00				
51	मिश्रित कुसौधी,		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	4000.00
	मिश्रित बजरंग मोड़		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
		योग	608310.00				
52	मिश्रित कोन्हवाँ मोड़,		315116.00	2577.5 / 30930	492.48 / 5909.76	926.84 / 11122.08	6000.00
	मिश्रित मकसुदपुर,		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
	मिश्रित कुईसाखुर्द(इंदल मोड़)		304155.00	2577.5 / 30930	446.073 / 5352.88	526.84 / 6322.08	
		योग	923426.00				

9/11/20

अधीक्षक उत्पाद
गोपालगंज।

समाहर्षिता
गोपालगंज।